संदर्भ: आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/पीआरओ/32/01/2024 31 जनवरी, 2024
Ref: IRDAI/HLT/CIR/PRO/32/01/2024 31st January,2024

प्रति / To,
सभी साधारण, स्वास्थ्य बीमा कंपनियाँ (ईसीजीसी और एआईसी को छोड़कर) और तृतीय पक्ष प्रशासक
All General, Health Insurance Companies (Except ECGC & AIC) and Third Party Administrators

विषय: निर्योग्यताओं से युक्त व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी), एचआईवी/एड्स से ग्रस्त व्यक्तियों, तथा मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उत्पाद में आशोधन
Sub: Modification in Product for Persons with Disabilities(PWD), Persons afflicted with HIV/AIDS, and those suffering from Mental Illness.

1. उपर्युक्त विषय पर आईआरडीएआई परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एचएलटी/सीआईआर/विविध/58/02/2023 दिनांक 27 फरवरी, 2023 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।
   Reference is invited to IRDAI Circular no: IRDAI/HLT/CIR/MISC/58/02/2023 dated 27th February, 2023 on the captioned subject.

2. स्वास्थ्य बीमा पालिसीधारकों को एलोपैथी अथवा आयुष चिकित्सा का चयन करने का समान विकल्प उपलब्ध कराने के लिए, उपर्युक्त परिपत्र के साथ संलग्न माडल उत्पाद में निम्नलिखित लघु आशोधन किये जाते हैं।
   In order to provide the health insurance policyholders with an equal choice of choosing either Allopathic Treatment or AYUSH Treatment, the following minor modifications are made in the model product enclosed to the above circular.

3. लाभों की सारणी एवं उत्पाद संरचना के खंड 11 में उल्लिखित "आयुष चिकित्सा" और "आयुष" संबंधी खंड 4.2 का आशोधन किया गया है और इन्हें निम्नानुसार पढ़ा जाएगाः
   Clause 4.2. on "AYUSH Treatment" and "AYUSH" referred at clause 11 in Table of Benefits as well as Product Construct have been modified and shall be read as under:

   "चिकित्सा-पद्धतियों की आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा (नैचुरोपैथी), यूनानी, सिद्ध और होमियोपैथी प्रणालियों के अंतर्गत अंतरंग रोगी देखभाल चिकित्सा (इन-पेशेंट केयर ट्रीटमेंट) के लिए किये गये व्ययों को पालिसी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप में प्रत्येक पालिसी वर्ष के दौरान, बीमित राशि के 100% तक कवर किया जाता है।"
   "Expenses incurred for inpatient care treatment under Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy systems of medicines is covered up to 100% of Sum Insured, during each policy year as specified in the policy schedule".

4. उसमें विनिर्दिष्ट अन्य मानदंडों में कोई परिवर्तन नहीं है।
   There is no change in other norms specified therein.

5. यह परिपत्र 01.04.2024 से प्रवृत्त होगा।
   This Circular will come into force w.e.f 01.04.2024.

6. यह परिपत्र आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(ख) के अनुसार जारी किया जाता है।
This Circular is issued in terms of Section 14(2)(b) of IRDA Act,1999.

डिजिटली हस्ताक्षरित / Digitally Signed
ए. रमण राव
A. Ramana Rao

मुख्य महाप्रबंधक (स्वास्थ्य) / CGM (Health)